भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1080

दिनांक 28 **जुलाई**, 2021

आर्थिक स्थिति में सुधार पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव

1080 **श्री जी सी चन्द्रशेखर**:
डा. एल. हनुमंतय्या :
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री कुमार केत्तकर :
श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान से देश की आर्थिक स्थिति के उबरने की प्रक्रिया में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि ईंधनों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि का मंहगाई बढने पर कोई प्रभाव पड़ा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) केंद्र द्वारा मार्च 2020 से आज की तारीख तक पेट्रोल और डीजल पर संग्रहित करों, उपकरों और उत्पाद शुल्क की धनराशि कितनी-कितनी है और संग्रहण का राज्य-वार मासिक ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (घ): दिनांक 25 मार्च, 2020 को लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अप्रैल-जून, 2020 के दौरान पेट्रोल और डीजल की खपत घटकर 20068 टीएमटी हो गई जो पिछले वर्ष (2019) की इसी अवधि के दौरान की गई खपत (30399 टीएमटी) से लगभग 34 प्रतिशत कम थी। चूंकि लॉकडाउन को प्रगामी रूप से हटाया गया था और आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई थीं, अत: पेट्रोल और डीजल की खपत धीरे-धीरे बढ़ गई और जनवरी-मार्च 2021 के दौरान 28410 टीएमटी तक पहुंच गई जो वर्ष 2019 की इसी अवधि की खपत का लगभग 106 प्रतिशत थी। इसके अलावा, अप्रैल-मई, 2021 में कोविद-19 की दूसरी लहर के चलते लगाए गए प्रतिबंधों से खपत कम हो गई, जो बाद में बढ़ गई थी। जुलाई में दिनांक 21 जुलाई, 2021 तक एमएस की बिक्री वर्ष

2020 में इसी अवधि में हुई बिक्री की 118.65% थी। जबकि यह एचएसडी की जुलाई, 2020 की बिक्री की 111.90% थी।

डब्ल्यूपीआई सूचकांक में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भारांक क्रमश: 1.60%, 3.10% तथा 0.64% है।

पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों तथा अन्य बाजार दशाओं के आधार पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। ओएमसीज ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा रूपया डॉलर विनिमय दर में परिवर्तनों के अनुरूप बढ़ाया और घटाया है।

केन्द्र सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपए/लीटर के उत्पाद शुल्क/उप कर की उगाही करती है जिसमें 1.40 रुपए बुनियादी उत्पाद शुल्क, 18 रुपए सड़क एवं अवसंरचना विकास उप कर और 2.50 रुपए कृषि एवं अवसंरचना विकास उप कर तथा 11 रुपए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है।

वर्तमान में डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/उप कर 31.80 रुपए/लीटर है जिसमें 1.80 रुपए बुनियादी उत्पाद शुल्क, 18 रुपए सड़क एवं अवसंरचना विकास उपकर और 4.00 रुपए कृषि एवं अवसंरचना विकास उप कर तथा 8 रुपए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है। दिनांक 16 जुलाई, 2021 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में कुल उत्पाद शुल्क/उप कर का भार क्रमशः 32.4% और 35.4% है।

कराधान से प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार की विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) में किया जाता है और साथ ही आपदा के दौरान गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) में किया जाता है, जिसके तहत अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 और मई-जून, 2021 के दौरान 80 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्क राशन दिया गया और कोविड-19 आदि के लिए निशुल्क टीकाकरण किया गया। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 91,287 कि.मी. (अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) से बढ़ कर 1,37,625 कि.मी. (दिनांक 20 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार) हो गई है। भारत में प्रति दिन राजमार्ग का निर्माण बढ़ कर लगभग तीन गुना हो गया और यह वर्ष 2014-15 में 12 कि.मी. प्रति दिन से बढ़ कर वर्ष 2020-21 में 33.7 कि.मी. प्रति दिन हो गया है।

उप कर का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है और इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं।

राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के आधार मूल्य और केन्द्रीय करों की कुल राशि पर वैट की उगाही करती हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग-अलग है और यह दिनांक 22.07.2021 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल के संबंध में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.83 रुपए, महाराष्ट्र में

29.55 रुपए, राजस्थान में 29.88 रुपए, मध्य प्रदेश में 31.55 रुपए और डीजल के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.74 रुपए तथा राजस्थान में 21.82 रुपए है।

पेट्रोल और डीजल पर राज्य उगाहियों और करों का रुपये/लीटर में अंतर का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक**-I में दिया गया है।

पीओएल उत्पादों पर बिक्री कर/वैट की उगाही का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक**-2 में दिया गया है।

(ड.) पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/उप कर का ब्यौरा **अनुलग्नक**-3 में दिया गया है।

****

अनुल नक-1

(राज्य सभा अतारांकित प्र न संख्या 1080, दिनांक 28.7.2021)

राज्य उगाहियों और करों में भिन्नता का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए/लीटर)

क्र. सं.	राज्य	राजधानी	01.07.2020 की स्थिति के अनुसार		22.07.2021 की स्थिति के अनुसार		भिन्नता	
			राज्य उगाही और कर		राज्य उगाही और कर		राज्य उगाही और कर	
			पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल
1	महाराष्ट्र	मुंबई	25.33	17.25	29.55	20.85	4.22	3.60
2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	18.56	18.83	23.50	13.14	4.94	-5.69
3	प चिम बंगाल	कोलकाता	19.79	13.55	23.31	15.85	3.51	2.30
4	तमिलनाडु	चेन्नई	21.80	16.14	24.26	17.79	2.46	1.65
5	तेलंगाना	हैदराबाद	20.87	16.26	26.64	20.35	5.77	4.08
6	आं प्रदेश	विज़ाग	20.91	16.30	28.49	21.78	7.59	5.48
7	केरल	तिरुवनंतपुरम	19.14	14.93	24.15	18.43	5.01	3.50
8	कर्नाटक	बैंगलोर	20.67	14.40	26.38	18.00	5.71	3.61
9	पुदुचेरी	पुदुचेरी	19.10	15.13	22.56	15.61	3.45	0.48
10	मेघालय	शिलांग	21.37	15.79	18.51	11.39	-2.86	-4.40
11	मिजोरम	आइज़ोल	14.89	8.77	18.99	10.96	4.10	2.20
12	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	12.43	7.75	15.75	9.65	3.32	1.90
13	मणिपुर	इंफाल	21.51	13.45	27.44	16.82	5.93	3.37
14	नागालैंड	कोहिमा	23.54	16.15	21.83	15.03	-1.71	-1.12
15	त्रिपुरा	अगरतला	17.23	12.17	22.00	15.23	4.77	3.07
16	असम	गुवाहाटी	22.63	17.45	19.42	12.60	-3.21	-4.85
17	सिक्किम	गंगटोक	18.10	11.45	22.25	13.69	4.15	2.24
18	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	3.84	3.84	4.83	4.74	0.99	0.91
19	झारखंड	राँची	18.00	14.40	18.00	17.70	0.00	3.30
20	ओडिसा	भुवने वर	18.84	16.73	24.04	20.93	5.21	4.20
21	बिहार	पटना	21.25	15.57	25.77	18.66	4.53	3.09
22	मध्य प्रदेश	भोपाल	25.89	18.03	31.55	21.68	5.65	3.65
23	गोवा	पणजी	15.12	13.54	20.81	17.69	5.69	4.16
24	गुजरात	गाँधीनगर	15.90	15.98	20.14	19.89	4.25	3.90
25	छत्तीसगढ़	रायपुर	16.78	16.01	20.87	19.79	4.09	3.77
26	दादरा और नागर हवेली	सिलवासा	13.96	10.78	17.69	17.39	3.73	6.61
27	दमन और दीव	दमन	13.95	10.76	17.67	17.37	3.72	6.61
28	चंडीगढ़	चंडीगढ़	15.39	10.07	19.48	12.53	4.09	2.46
29	हरियाणा	अंबाला	16.27	10.64	20.58	13.23	4.31	2.59
30	पंजाब	जालंधर	19.65	12.19	24.45	14.83	4.80	2.63
31	हिमाचल प्रदेश	शिमला	15.50	9.00	19.01	10.60	3.51	1.60
32	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और क मीर	श्री नगर	19.22	11.42	23.26	13.93	4.04	2.51
33	उत्तराखंड	देहरादून	19.00	10.49	19.00	13.13	0.00	2.63
34	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	18.74	10.46	20.18	13.10	1.44	2.64
35	राजस्थान	जयपुर	25.20	19.15	29.88	21.82	4.68	2.67
36	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	लेह	17.94	10.94	22.11	13.48	4.17	2.54

अनुलग्नक- 2

(**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 1080, **दिनांक** 28.7.2021)

पीओएल उत्पादों पर बिक्री कर/ वैट की राज्यवार उगाही

करोड़ रुपए

राज्य	2019-20	2020-21	**भिन्नता**
पचिम बंगाल	7,534	7,916	381
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	94	74	-20
आं प्रदेश	10,168	11,014	846
अरुणाचल प्रदेश	26	104	78
असम	3,641	3,747	106
बिहार	6,238	5,854	-384
चंडीगढ़	60	60	0
छत्तीसगढ़	3,877	4,107	230
दादरा नागर हवेली एवं दमन और दीव	2	1	0
दिल्ली	3,833	2,653	-1,180
गोवा	754	682	-72
गुजरात	15,337	15,141	-196
हरियाणा	7,648	7,923	275
हिमाचल प्रदेश	440	882	442
जम्मू और कश्मीर	1,459	1,444	-15
झारखंड	3,296	3,619	323
कर्नाटक	15,381	15,476	95
केरल	8,074	6,924	-1,150
ल ाख	14	49	35
लक्षद्वीप	-	-	-
मध्य प्रदेश	10,720	11,908	1,188
महाराष्ट्र	26,791	25,430	-1,361
म णपुर	192	265	72
मेघालय	-	-	-
मिजोरम	91	84	-6
नागालैंड	116	148	33
ओ डसा	5,495	6,224	729
पुदुलेरी	5	10	5
पंजाब	5,548	6,291	744
राजस्थान	13,319	15,119	1,800
सिक्किम	129	111	-19
तमिलनाडु	18,175	17,063	-1,112
तेलंगाना	10,045	8,691	-1,355
त्रिपुरा	384	445	61
उत्तर प्रदेश	20,112	21,956	1,844
उत्तराखंड	1,495	1,524	29
कुल	2,00,493	2,02,937	2,444

अनुलग्नक-3

(**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 1080, **दिनांक** 28.7.2021)

प्रभावी	उत्पाद	बुनियादी उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	सड़क एवं अवसंरचना विकास उपकर	कृषि एवं अवसंरचना विकास उपकर	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	शिक्षा उपकर 3%की दर से	कुल
14.03.2020	पेट्रोल	2.98	-	10.00	-	10.00	-	22.98
06.05.2020		2.98	-	18.00	-	12.00	-	32.98
02.02.2021		1.40	-	18.00	2.50	11.00	-	32.90
14.03.2020	डीजल	4.83	-	10.00	0.00	4.00	-	18.83
06.05.2020		4.83	-	18.00	0.00	9.00	-	31.83
02.02.2021		1.80	-	18.00	4.00	8.00	-	31.80

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पेट्रोल से 101598 करोड़ रुपए और डीजल से 233296 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क/उप कर की उगाही की गई।

****